

राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण अधियक-2023 ध्वनमित से पारति

चर्चा में क्यों?

18 जुलाई, 2023 को राजस्थान अधिनसभा में राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण अधियक-2023 पर चर्चा के बाद सदन ने अधियक को ध्वनमित से पारति कर दया।

प्रमुख बदि

- यह अधियक प्रदेश में संगठित अपराधों पर रोक लगाने तथा पुलसि को सशक्त बनाने के लयि लाया गया है। इस अधिनयिम के प्रावधान राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने में कारगर साबति होंगे।
- अधियक में अपराधियों द्वारा अर्जति संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना एवं विशेष लोक अभयिजकों की नयिक्तिकरण के प्रावधान कयि गए हैं, ताका मुकदमों का शीघ्र नसितारण हो सके। इसमें अपराधियों की जमानत एवं अग्रमि जमानत नहीं होने के भी प्रावधान कयि गए हैं।
- संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया का राज्य में अपराध की प्रवृत्तियों के अध्ययन से यह प्रकट हुआ है का पिछले दशक में राज्य में अपराध के पैटर्न में बदलाव आया है। आपराधिक गरीहों ने शूटर, मुखबरि, गुप्त सूचना देने वाले और हथयार आपूरतकिर्ताओं के साथ मलिकर संगठित नेटवर्क स्थापति कर लयि हैं।
- ये संगठित गरीह मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट कलिगि, व्यवसायियों को धमकी देकर फरीती मांगने, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में लपित हैं। ये गरीह कानून और प्रक्रया के सुधारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहलुओं का लाभ उठाते हुए अपराध करने के लयि अभरिक्षा से रहि भी हो जाते हैं। कुछ समय से इन अपराधियों ने जनता में डरावनी छवि बना ली है। इसलयि इन अपराधियों से प्रभावी ढंग से नपिटने के लयि आवश्यक कठोर कानून की यह अधियक पूरतकिरेगा।
- इस अधिनयिम की धारा-28 के अंतरगत उच्च न्यायालय को विशेष न्यायालयों के संबंध में नयिम बनाने की शक्तयिँ प्रदान की गई है। वही धारा-29 के अंतरगत राज्य सरकार अधिनयिम के प्रयोजनों को क्रयानवति करने के लयि नयिम बना सकेगी।
- दंड प्रक्रया संहति की धारा-5 के अंतरगत राज्य सरकार विशेष प्रक्रया के कानून बना सकती है, जसिके अंतरगत यह अधियक लाया गया है। इस तरह का कानून बनाने वाला राजस्थान देश का चौथा राज्य है। पूरव में महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात में इस तरह के कानून लागू कयि जा चुके हैं।
- इससे पूरव जनमत जानने हेतु अधियक को परिचालति करने का प्रस्ताव सदन ने ध्वनमित से अस्वीकार कर दया।